संपादकीय जागरण

सोमवार, 2 अप्रैल, 2018 : वैशाख कृष्ण 2 वि. 2075

बिना उत्साह के कभी किसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती

कश्मीर में बड़ी कामयाबी

कश्मीर में तीन मुठभेड़ों में 12 आतंकियों को मार गिराया जाना पुलिस, सुरक्षा बलों और सेना की एक बड़ी कामयाबी है। इस कामयाबी के लिए सुरक्षा बलों की पीठ थपथपाने के साथ इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि उन्हें कुर्बानी भी देनी पड़ी है। यह कामयाबी इसलिए कहीं अधिक उल्लेखनीय है, क्योंकि मारे गए आतंकियों में लेफ्टिनेंट उमर फैयाज के हत्यारे भी शामिल हैं। कम से कम अब तो बंदूक के सहारे तथाकथित जेहाद का मुगालता पालने वालों को यह समझ आ जाना चाहिए कि न तो देश के खिलाफ बंदूक उठाने वाले छोड़े जाएंगे और न ही सैनिकों को निशाना बनाने वाले। बेहतर हो कि सुरक्षा बल और सेना ऐसे आतंकियों को खास तौर पर अपने निशाने पर ले जो सिपाहियों और सैनिकों पर हमले की जुर्रत करते रहते हैं। एक दिन में 12 आतंकियों का खात्मा यह भी बताता है कि सेना पुलिस एवं अन्य सुरक्षा बलों के सहयोग से आतंकवाद को कुचलने के लिए प्रतिबद्ध है। यही इसी प्रतिबद्धता का परिणाम है कि हाल के समय में एक बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए हैं। बीते साल तो दो सौ से अधिक आतंकी मारे गए थे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बड़ी संख्या में आतंकियों के ऐसे हश्र के बाद अलगाव और आतंक का समर्थन करने वालों को इस नतीजे पर पहुंचने में और देर नहीं करनी चाहिए कि यह सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का रास्ता है। निःसंदेह बर्बादी के इस रस्ते के लिए वे अलगाववादी तत्व भी जिम्मेदार हैं जो कश्मीर की आजादी का ख्वाब दिखाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। जो भी यह ख्वाब देख रहे अथवा दूसरों को दिखा रहे वे इस सच से ही मुंह मोड़ रहे हैं कि दुनिया की कोई ताकत कश्मीर को भारत से अलग नहीं कर सकती।

यह देखना दयनीय है कि आतंकियों के मारे जाने के विरोध में अलगाववादी तत्वों ने हड़ताल बुलाने में देर नहीं की। ये वही तत्व हैं जो उमर फैयाज और अयूब पंडित की शहादत पर मौन साधे रहे। बेहतर होगा कि आम कश्मीरी अलगाववाद की दुकानें चला रहे तत्वों को न केवल हतोत्साहित करें, बल्कि उनसे यह भी पूछे कि क्या उमर फैयाज और अयूब पंडित कश्मीरी नहीं थे? बीते कुछ समय में कश्मीर में यह भाव घर करता दिखा है कि आतंक का रास्ता केवल तबाही की ओर ले जा रहा है, लेकिन जब केंद्र सरकार कश्मीरियों को गले लगाने को तैयार है तब फिर यह जरूरी हो जाता है कि अलगाव और आतंक की तरफदारी करने वालों को ठुकराने का काम आगे बढ़कर किया जाए। कश्मीर में बहुत खून बह चुका और अभी भी वहां कश्मीरियों के साथ शेष भारत के लोगों का भी खून बह रहा है। गत दिवस ही आतंकियों को मार गिराने के क्रम में जहां तीन नागरिक क्रास फायरिंग में मारे गए वहीं तीन जवानों को भी शहादत का सामना करना पड़ा। इस सिलसिले को जल्द थामा जा सकता है, लेकिन तभी जब कश्मीरी जनता पाकिस्तान परस्त तत्वों के बहकावे में आने से बचेगी। कश्मीरी जनता एकजुट होकर आतंक और अलगाव के खिलाफ खड़ी हो, इसकी कोशिश राज्य सरकार को भी करनी चाहिए।

राहत की निगरानी भी हो

ऐसा बहुत कम ही हुआ होगा, जब किसानों को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई हाथों हाथ देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेमौसम आंधी, बारिश और ओले से प्रभावित किसानों को तीन दिन के भीतर राहत उपलब्ध कराने का निर्देश देकर एक नई शुरुआत कर दी है। पिछले साल भी उन्होंने ऐसे मामलों में त्वरित राहत देने की व्यवस्था बनाई थी, लेकिन अबकी बार और तत्परता बरतने के लिए कहा गया है। संबंधित जिलों के मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को चेताया भी है कि इस काम में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। वह खुद इसकी समीक्षा करेंगे।

सरकार के अति चौकन्ना होने के बावजूद सरकारी मशीनरी में अपेक्षानुरूप सुधार नहीं आ पा रहा है

दरअसल, शुक्रवार शाम प्रदेश के बड़े हिस्से में आंधी के साथ बारिश हुई। कई जगहों पर ओले भी गिरे। रबी की मुख्य फसल गेहूं पक कर तैयार है। आंधी, बारिश और ओले से गेहूं की फसल को बड़ी क्षति पहुंची है। ऐसे में निश्चित रूप से मुख्यमंत्री का यह कदम सराहनीय है, क्योंकि अभी तक होता यही रहा है कि प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों का नुकसान होने पर उसकी भरपाई के लिए किसानों को महीनों तक इंतजार करना पड़ता था। आधी अधूरी रकम भी मुश्किल से मिल पाती थी। कई बार तो जितनी रकम मिलनी होती थी, उसका चेक पाने के लिए उससे ज्यादा रकम सुविधाशुल्क में चली जाती थी। मौजूदा सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर ज्यादा संजीदा और संवेदनशील दिख रही है। हालांकि, सरकार के अति चौकन्ना होने के बावजूद सरकारी मशीनरी में अपेक्षानुरूप सुधार नहीं आ रहा है, जिसकी बानगी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में धांधलेबाजी की तमाम घटनाओं के रूप में देखने को भी मिली। जल्दबाजी के चक्कर में इस मामले भी ऐसा न हो इसका खास ख्याल रखना पड़ेगा।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या पेपर लीक होने के चलते सीबीएसई द्वारा दोबारा परीक्षा कराने का फैसला सही है?

आज का सवाल

क्या आपको लगता है कि तुरंत गिरफ्तारी पर रोक से एससी-एसटी एक्ट कमजोर होगा?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, N-नहीं, C-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।
सभी आंकड़े प्रतिशत में।

समानता नजर भी आनी चाहिए

तसलीमा नसरीन

कहते हैं जमात में यानी जब कई लोग साथ नमाज पढ़ते हैं तो उसका सवाब अधिक मिलता है। आखिर महिलाओं को जमात का सवाब क्यों नहीं लेने दिया जाता?

मेरी मां जब बीमार थीं तो मैं और मेरी नानी पूरे वक्त उनके साथ रहती थीं। हम दोनों दिन-रात उनकी देखभाल में लगे रहते थे। उनके पास कोई और नहीं आता था। घर के पुरुष सदस्य अपने-अपने काम में व्यस्त रहते थे, लेकिन मां के इंतकाल के बाद शव को लेकर क्या-क्या करना है, यह सारा निर्णय पुरुष सदस्यों ने कर लिया। मां का जनाजा खाट में रखकर कब्रगाह में ले जाया गया। मैंने जनाजे के साथ कब्रगाह तक जाने की बात कही तो मुझसे कहा गया कि महिलाओं को जनाजे के साथ कब्रगाह जाने की इजाजत नहीं है। पुरुषों ने कहा कि तुम मां की संतान हो सकती हो, लेकिन तुम्हें मां के जनाजे के साथ जाने का हक नहीं है। यहां तक कि जनाजे की नमाज पढ़ने और मां की कब्र पर मिट्टी देने और कब्रगाह में दाखिल करने का भी हक नहीं है। ऐसा क्यों? क्या मैं एक महिला हूं, इसलिए ऐसा कहा गया। इस्लाम महिलाओं को जनाजे के साथ कब्रगाह जाने की अनुमति नहीं देता। बांग्लादेश में जनाजे की नमाज में किसी भी महिला की मौजूदगी नहीं होती, हालांकि पाकिस्तान में है। संभवतः कुछ और मुस्लिम देशों में भी है। जब पाकिस्तान में मानवाधिकारों के लिए लड़ने वाली अधिवक्ता आसमां जहांगीर का जनाजा निकला तो उसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुईं। पहली कतार में खड़ी होकर आसमां जहांगीर की बेटी समेत कई महिलाओं ने जनाजे की नमाज अदा की। क्या इस्लाम महिलाओं को जनाजे की नमाज अदा करने की अनुमति दे देता है? इस सवाल का जवाब यह मिला कि जनाजे में पुरुष के साथ नमाज पढ़ने के लिए महिलाओं को उत्साहित नहीं किया जाता। महिलाओं के लिए घर में बैठकर ही नमाज पढ़ना बेहतर है।

हालांकि जनाजे की नमाज पढ़ना महिलाओं के लिए गैरकानूनी या इस्लाम विरोधी नहीं है। यदि पढ़ना ही है तो पुरुषों के पीछे खड़े होकर पढ़ा जा सकता है। किसी भी सूरत में पुरुष के सामने खड़े होकर नहीं। इस्लाम के कई विशेषज्ञों का कहना है कि अरब देशों में मोहम्मद नबी के वक्त महिलाएं जनाजे में शरीक होती थीं। उस समय भी महिलाओं को नमाज पढ़ने के लिए पिछली कतार में खड़ा होना होता था। आज 1400 वर्ष बाद महिलाओं के अधिकार और बढ़ने चाहिए थे, लेकिन बांग्लादेश में जनाजे के सामने की कतार में तो क्या, पिछली कतार में भी महिलाओं को खड़े होने की इजाजत नहीं है। पाकिस्तान में जो हो सकता है, वह बांग्लादेश में क्यों नहीं हो सकता? पाकिस्तान का जन्म धार्मिक आधार पर हुआ था। वहीं बांग्लादेश का जन्म भाषा, संस्कृति और धर्मनिरपेक्षता के आधार पर हुआ। पाकिस्तान और बांग्लादेश की बुनियाद में जमीन-आसमान का अंतर है, लेकिन पाकिस्तान में महिलाओं को जितनी स्वाधीनता और अधिकार हैं उतने बांग्लादेश में नहीं मिलते। मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि पाकिस्तान में महिलाएं प्रताड़ित नहीं होती हैं, बल्कि यह कहना चाहती हूं कि बांग्लादेश में महिलाएं प्रताड़ित होने के साथ अपने अधिकारों से भी वंचित हैं। इस्लाम ने जो थोड़े-बहुत अधिकार महिलाओं को दिए हैं वे भी नहीं मिल रहे हैं।

अवधेश राजपूत

हाल में केरल के मल्लापुरम के चेरूकोड़ गांव में जमीदा बीबी ने जुम्मे की नमाज पढ़ाई। इस्लाम यह मान सकता है कि एक महिला दूसरी महिलाओं की नमाज के लिए इमाम हो सकती है, लेकिन यह मुमकिन नहीं कि पुरुष महिलाओं के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ें, लेकिन यह असंभव घटना केरल के इस गांव में हुई। महिला-पुरुष, सभी ने जमीदा के पीछे खड़े होकर नमाज अदा की। नमाज के बाद जमीदा बीबी ने कहा कि कुरान में महिला-पुरुष में समानता की बातें लिखी हैं। भेद पुरुषों ने पैदा किया है, जिसे मैं दूर करूंगी। जमीदा का कहना है कि कुरान में कहीं भी यह नहीं लिखा कि पुरुष ही इमाम का काम कर सकते हैं। जमीदा कुरान पर यकीन करती हैं, हदीस पर नहीं। उनका तर्क है कि हदीस अल्ला या रसूल ने नहीं लिखी। हदीस रसूल के अनुयायियों ने लिखी। इन अनुयायियों पर जमीदा को यकीन नहीं।

महिला जमीदा की ओर से नमाज पढ़ाने की खबरें सुनकर एक मुस्लिम संगठन के नेता ने कहा कि जमीदा बीबी ने जो किया वह नाटक के अलावा कुछ नहीं है। जमीदा के खिलाफ फतवा जारी किया गया, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि वह इमाम का कार्य करेंगी। उन्हें फतवा की परवाह नहीं है और जरूरी हुआ तो पुलिस से सुरक्षा लेंगी। जमीदा ने पूछा कि अगर महिलाओं के अधिकार वाले नियमों में बदलाव नहीं होगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? जमीदा जैसी साहसी महिलाएं बांग्लादेश अथवा अन्य मुस्लिम देशों में क्यों नहीं हैं? कई अन्य मुस्लिम देशों में महिलाएं मस्जिद में जाकर नमाज अदा करती हैं, लेकिन भारतीय उपमहादेश में महिलाओं के कदम-कदम पर बेड़ियां डाली गई हैं। किसी-किसी मस्जिद में पुरुषों के नमाज पढ़ने के स्थान के पास दीवार घेरकर महिलाओं के लिए स्थान बनाए गए हैं। वहां महिलाएं नमाज पढ़ती हैं, लेकिन अधिकांश मस्जिदों में बड़े-बड़े अक्षरों में नोटिस चस्पा है कि महिलाओं का प्रवेश निषेध है। आदिकाल में बर्बरता के समय भी महिलाएं मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ती थीं, लेकिन तब भी घर में नमाज पढ़ने को अच्छा माना जाता था। कहा जाता है कि जमात में यानी जब कई लोग एक साथ नमाज पढ़ते हैं तो उसका सवाब अधिक मिलता है। आखिर महिलाओं को जमात का सवाब क्यों नहीं लेने दिया जाता? अगर महिलाएं मस्जिद में जाती हैं तो इस्लाम के कानून के मुताबिक कौन सा नियम टूटता है? किसी को यह अधिकार नहीं कि महिलाओं को मस्जिद में जाने से रोके। सभी मस्जिदों में महिलाओं को नमाज पढ़ने दी जाए। दरअसल जो सबसे अधिक जरूरी है वह है इस्लाम में बदलाव। वक्त के साथ हर चीज में बदलाव होता है। किसी हदीस में लिखा है कि महिलाएं शिक्षा के लिए सुदूर चीन देश भी जा सकती हैं। किसी में लिखा है खबरदार, महिलाएं घर का चौखट नहीं लांघ सकतीं। इन दो तरह की बातों से लोगों में संशय पैदा होता है इसलिए जरूरी है कि इस्लाम उदार बने ताकि वह आधुनिकता को अपना सके। मोबाइल फोन, टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट, फेसबुक के इस्तेमाल की बातें भी तो कुरान या हदीस में नहीं लिखी हैं, लेकिन मुसलमान इन चीजों का खूब इस्तेमाल करते हैं।

क्या कुरान या हदीस में यह लिखा है कि अन्य धर्म मानने वालों के साथ दोस्ती न करें? क्या मुसलमानों के लिए अन्य धर्म वालों के वैज्ञानिक आविष्कारों को छोड़कर जीवन-यापन करना संभव है? क्या इन्हें ठुकराने के बाद मुसलमानों को आदिकाल में नहीं लौटना होगा? अन्य धर्मावलंबियों से शत्रुता न कर उनसे दोस्ती करना, आधुनिक होना एक छोटा सा प्रयास है। यदि केरल के गांव की एक महिला इमाम का कार्य कर सकती है तो मुस्लिम समाज की अन्य महिलाएं भी आगे क्यों नहीं आ सकतीं? इस्लाम समानता की बात करता है, यह सुन-सुनकर मेरे कान पक चुके हैं। मैं सच में यह देखना चाहती हूं कि इस्लाम समानता की बातें करता है। सातवीं सदी के इस्लाम को 21वीं सदी के इस्लाम में बदलना होगा। जो इस्लाम महिलाओं के मस्जिद में नमाज पढ़ने और उनके इमाम बनने में बाधा नहीं डालेगा, हम सभी उसी इस्लाम पर गर्व करेंगे।

(लेखिका प्रख्यात साहित्यकार एवं स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

दांव पर लगी पुरानी दोस्ती

हर्ष वी पंत

चीन-पाक के साथ रूस की बढ़ती नजदीकी से आने वाले वक्त में भारत-रूस रिश्तों की कड़ी परीक्षा होनी तय है

उम्मीद के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन रूसी राष्ट्रपति का चुनाव बड़ी आसानी से जीत गए और अगले छह साल तक फिर अपने देश का नेतृत्व करेंगे। हालिया चुनाव में उन्हें 76 प्रतिशत वोट मिले और इस तरह वह स्टालिन के बाद रूस की सत्ता पर सबसे अधिक समय तक काबिज रहने वाले नेता भी बन गए। 1999 से ही वह किसी न किसी रूप में रूस के शीर्ष सत्ता केंद्र पर आसीन रहे हैं। इस बार वह यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि उन्हें पिछली बार की तुलना में अधिक जनसमर्थन मिले। पिछले चुनाव में रूस के 64 फीसद मतदाताओं ने उनके नाम पर मुहर लगाई थी। इस लिहाज से वह अपने समर्थन में लगभग 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर इस मुहिम में काफी हद कामयाब रहे हैं। जहां पुतिन इस जीत को 'पिछले कुछ वर्षों में हासिल की गई उपलब्धियों' का नतीजा बताकर जश्न मना रहे हैं वहीं उनकी जीत एक बड़ी हद तक पूर्वनियोजित लगती है, क्योंकि मुख्य विपक्षी नेता एलेक्सी नवाल्नी को राष्ट्रपति पद के लिए होड़ में बने ही नहीं रहने दिया गया।

चीन में 'सम्राट' के रूप में चिनफिंग की आजीवन ताजपोशी और रूस में पुतिन के चुनाव से एक नए किस्म की अधिकनायकवादी राजनीतिक परिपाटी आकार ले रही है जो उदारवादी ढांचे के समक्ष बेहद कड़ी चुनौती पेश कर रही है। रूस के साथ भारत के लंबे समय से खास रिश्ते रहे हैं, लेकिन तेजी से बदलती भू-राजनीतिक परिस्थितियों में उन रिश्तों की तासीर बदल रही है। दूसरे शब्दों में कहें तो बदलते वक्त में भारत-रूस रिश्ते नई करवट ले रहे हैं। पुतिन के नए कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत शुभकामनाएं प्रेषित कीं और अब रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण वहीं की यात्रा पर जा रही हैं। देखना है कि उनकी यात्रा दोनों देशों के रिश्तों में कितनी मिठास घोल पाती है। रूस को लेकर भारत की चिंता यही होनी चाहिए कि उसका पाकिस्तान के प्रति झुकाव लगातार बढ़ता जा रहा है और चीन के साथ उसके रिश्तों की पींगें भी बढ़ रही हैं। ध्यान रहे कि अतीत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर के मसले को लेकर मॉस्को ने कई बार भारत के पक्ष में वीटो किया है।

दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को लेकर मॉस्को की रणनीति में बदलाव दिख रहा है। पिछले वर्ष दिसंबर में आयोजित छह देशों के एक सम्मेलन के अंत में जारी संयुक्त घोषणापत्र में मॉस्को ने कश्मीर पर पाकिस्तानी रुख का समर्थन किया। अफगानिस्तान, चीन, ईरान, पाकिस्तान, रूस और तुर्की द्वारा हस्ताक्षरित इस प्रस्ताव में रेखांकित किया गया कि वैश्विक और क्षेत्रीय शांति एवं स्थायित्व को सुनिश्चित करने के लिए भारत और पाकिस्तान को जम्मू-कश्मीर मसले का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के

अनुसार शांतिपूर्ण ढंग से समाधान निकालना चाहिए। इसमें कश्मीर के मुद्दे का उल्लेख होना दर्शाता है कि पाकिस्तान ने अन्य पक्षों को घोषणापत्र में इसे शामिल करने पर राजी किया। गत वर्ष दिसंबर में नई दिल्ली यात्रा के दौरान रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने चीन की महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की वकालत करते हुए भारत को इससे जुड़ने की बिन मांगी सलाह दी थी। लावरोव ने दलील दी कि भारत अपने हितों से समझौता किए बिना कनेक्टिविटी की इस बड़ी परियोजना से जुड़कर लाभ उठाएगा। संप्रभुता के सवाल के संदर्भ में उन्होंने कहा कि किसी एक मुद्दे पर ही पूरा दांव नहीं लगाना चाहिए। उन्होंने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका-भारत-जापान-ऑस्ट्रेलिया चौकड़ी के विचार पर नई दिल्ली की गंभीरता को लेकर भी नाखुशी जाहिर की।

भारत और रूस में शीर्ष नेतृत्व की तमाम बेहतरीन कोशिशों के बावजूद द्विपक्षीय रिश्तों में ठहराव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रहे बदलाव दोनों देशों के बीच खाई पैदा कर रहे हैं। रूस के लिए अमेरिका की अगुआई वाला पश्चिमी जगत सबसे बड़ी चुनौती है और उसकी विदेश नीति की प्राथमिकताएं इसी पहलू के इर्द-गिर्द केंद्रित हैं कि पश्चिम को प्रत्येक मोर्चे पर कैसे मात दी जाए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से लेकर पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र में रूस यही कर रहा है। पश्चिमी जगत भी वैश्विक राजनीति में रूस को संदेह की दृष्टि से ही देखता है। कई मामलों में तो वह उस पर चीन से भी कम भरोसा करता है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद अमेरिका-रूस संबंधों में जगी सुधार की उम्मीद ने भी अब दम तोड़ दिया है, क्योंकि अमेरिकी घरेलू राजनीति में काफी कड़वाहट घुल गई है। ब्रिटेन और रूस भी इन दिनों टकराव के दौर से गुजर रहे हैं। ब्रिटिश धरती पर एक पूर्व रूसी जासूस और उनकी बेटी की नर्व एजेंट द्वारा की गई हत्या की कोशिश ने आग में घी का काम किया। इस मामले में रूस को कड़ा जवाब देने के लिए पूरा पश्चिमी जगत ब्रिटेन के पीछे एकजुट खड़ा है। भारत के लिए हालात जरा अलग हैं। उसे पड़ोस में चीन के उभार से बढ़ रही समस्याओं का समाधान तलाशना है। चीन अब दक्षिण एशिया और हिंद महासागर जैसे परंपरागत रूप से भारत के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में भी अपना दखल देने पर आमादा है। भारत और चीन की ताकत में बढ़ती विषमता से सीमा पर हालात और भी ज्यादा अस्थिर हो गए हैं। फिर उसके साथ मिलकर पाकिस्तान भारत के समक्ष दोहरी चुनौती बढ़ाता है।

भारत की वैश्विक ताकत बनने की आकांक्षाओं को चीन भाव ही नहीं देता और सुरक्षा संबंधी भारत की तमाम मांगों पर उसके साथ बातचीत बेनतीजा ही रही है। इसका नतीजा यही निकलता है कि जहां पश्चिम को जवाब देने के लिए रूस को शायद चीन का साथ और समर्थन मिल जाए, लेकिन भारत को ऐसी कोई सुविधा हासिल नहीं है। ऐसे में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीनी वर्चस्व पर अंकुश लगाने के लिए नई दिल्ली को समान विचार वाले देशों के साथ मिलकर वैकल्पिक मंच बनाने के साथ ही ऐसा विमर्श भी तैयार करना होगा जो चीन की सही तरीके से काट कर सके। चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ती रूस की गलबहियों से आने वाले कुछ वर्षों में भारत-रूस रिश्तों की कड़ी परीक्षा होनी तय है। भारत और रूस के रिश्तों की धुरी हमेशा से रक्षा संबंधों पर टिकी रही है जहां अब आर्थिक आधार खिसक रहा है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि रिश्तों के मौजूदा स्वरूप पर कुछ सार्थक बातचीत को बढ़ाया जाए। इसमें केवल अतीत के रिश्तों की भावनाएं ही काम नहीं आएंगी, क्योंकि भारत और रूस दोनों का साबका नई चुनौतियों से पड़ रहा है और भू-सामरिक परिदृश्य भी तेजी से अपना स्वरूप बदल रहा है।

(लेखक लंदन स्थित किंग्स कॉलेज में इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

सेवा

सेवा मानव-हृदय के भीतर उत्पन्न होने वाला वह मिशनरी भाव है, जिसका आविर्भाव, स्वहित की अपेक्षा लोकहित के उद्देश्य से निस्वार्थ रूप से हृदय-कमल में होता है। सेवा का उद्देश्य पाना नहीं, बल्कि प्राण-पण से अपना इष्टतम अपने आराध्य या अभीष्ट को समर्पित करना है। इसका पारितोषिक भौतिक नहीं, बल्कि अभौतिक और अनुभूतिपरक होता है। सेवा शाश्वत आनंद प्रदान करने वाली अनमोल और कभी न समाप्त होने वाली आंतरिक खुशी प्रदान करती है। सेवा से मिलने वाले सुख व आनंद की प्राप्ति का स्थान संसार का कोई भी भौतिक सुख नहीं ले सकता। नौकरी भी किन्हीं अर्थों में सेवा की ही अनुगामिनी या सहचर है, किंतु इससे मिलने वाला पारितोषिक भौतिक रूप में उपस्थित होकर क्षणिक सुख की सृष्टि रचता है और दूसरे ही क्षण इसकी प्राप्ति से अतृप्ति, निराशा, घृणा, पश्चाताप, चंचलता, अरुचि और अन्यान्य नकारात्मक भाव पैदा होने लग जाते हैं।

नौकरी भौतिक उन्नति या प्राप्ति की प्रत्याशा से किया जाने वाला कार्य है, जिसमें समर्पण, अपनत्व, श्रद्धा व सेवा से कहीं अधिक स्वार्थपरायणता, भौतिक प्राप्ति की उत्कंठा या जिज्ञासा समाहित रहती है। नौकरी से मिलने वाले पारितोषिक से जीवन की खुशी का ग्राफ ऊपर-नीचे होकर मन को उसी अनुपात में सुख-दुख; खुशी-पश्चाताप का सुफल या कुफल देकर उद्वेलित-आंदोलित करता रहता है, लेकिन सेवा का पारितोषिक सदैव मन की जीर्ण-शीर्ण कुटिया को हरी-भरी कर सुख, आनंद व खुशी को बहुगुणित हर्षित-प्रफुल्लित रखता है। भौतिकता केंद्रित नौकरी संसार के भवसागर में गोते खाने के लिए बाध्य करती रहती है, जबकि स्वार्थरहित सेवा ईश्वर के साम्राज्य का राही बनाकर अलौकिक सुख और आनंद के लोक का मार्ग प्रशस्त करती है। सेवा ईश्वर का स्थाई सानिध्य पाने का आनंददायी मार्ग है। वहीं नौकरी स्वयं की प्रतिभा को भौतिक इच्छाओं को पूरा करने का साधन मात्र है। सच्ची सेवा ईश्वर के साथ तादात्म्य स्थापित करने का एक स्थाई प्रमाणपत्र है। हालाकि जीवन की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए नौकरी के व्यावहारिक महत्व से इन्कार नहीं किया जा सकता, लेकिन मौजूदा संदर्भ में हमारा विशेष जोर सेवा के महत्व को प्रतिपादित करना है।

डॉ. दिनेश चमोला 'शैलेश'

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

एकतरफा कानूनों में संशोधन जरूरी

सही फैसले की गलत व्याख्या शीर्षक से लिखे अपने लेख में संजय गुप्त ने एससी-एसटी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए जरूरी संशोधन के विरुद्ध केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा पुनर्विचार याचिका दायर करने की संभावना पर जो प्रश्न खड़े किए हैं, वे संदर्भगत प्रकरण में विचारणीय हैं। दलित कानून के कुछ पक्षों से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के उचित संशोधन पर दलित वोटबैंक की चिंता से ग्रस्त कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों द्वारा शोर-शराबा करना इतना आश्चर्यजनक नहीं है जितना कि भाजपा का इस जमात के साथ खड़ा हो जाना है। क्योंकि भाजपा के इस राजनीतिक कदम से उसके मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की 'सामाजिक समरसता' पर प्रश्न चिह्न खड़ा हो सकता है। जाति विहीन संगठित हिंदू समाज की बात करने वाले संघ ने जिस तरह से हिंदू दलित उत्पीड़न का हमेशा विरोध किया है, उसी तरह दलित कानून की ओट में होने वाले सवर्ण हिंदू समाज के उत्पीड़ित को भी कभी जायज नहीं ठहराया। सामाजिक संतुलन की दृष्टि से दलित कानून के दमनकारी पक्ष को परिमार्जित करने की इस न्यायालयी पहल का सर्व-समाज द्वारा स्वागत होना चाहिए, यही सामाजिक समरसता का तकाजा है। दलित वोट-बैंक की दूषित राजनीति के तहत भाजपा सहित अन्य राजनीतिक दलों द्वार, सामाजिक दृष्टि से किए गए सुप्रीम कोर्ट के सही फैसले का अनौचित्यपूर्ण विरोध सामाजिक न्याय का उपहास उड़ाने जैसा है। सामाजिक समरसता के लिए दलित कानून की तरह ही दहेज आदि अन्य सामाजिक कानूनों के दमनकारी पक्षों का न्यायपूर्ण संशोधन जरूरी है।

pandeyvp1960@gmail.com

फिजूल की आपत्ति

बाबा साहब आंबेडकर का पूरा तथा शुद्ध नाम लिखने पर व्यक्त की जा रही आपत्तियां नितांत फिजूल हैं। अपनी तमाम पुस्तकों पर उन्होंने अपना नाम बीआर आंबेडकर अंकित किया हुआ है। इसमें आर उनके पिता रामजी को इंगित करता है। उनके पिता अपना नाम रामजी मालोजी सकपाल लिखते थे। भारतीय संविधान की हस्तलिखित मूल हिंदी प्रति पर बाबा साहब ने अपना हस्ताक्षर भीमराव रामजी आंबेडकर के रूप में किया है। इसके द्वारा बाबा साहब ने स्वयं बता दिया कि उनके नाम में अंग्रेजी के आर अक्षर का क्या अर्थ है। साथ ही ये भी कि वे आंबेडकर हैं, अंबेडकर नहीं। अपने पिता के प्रति बाबा साहब का सम्मान व समर्पण देखिये। अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कार्य, बौद्ध मत में दीक्षा लेने का कार्यक्रम उन्होंने अपने पिता के पुण्यदिवस 14 अक्टूबर 1956 पर रखा। दीक्षा से पहले उन्होंने रामजी को स्मरण करते हुए उपस्थित अपने 3 लाख अनुयाइयों को दो मिनट का मौन रखवाया। इस अवसर पर उनका कथन था कि अपने पिता के कारण ही वे इतने धार्मिक बने। ऐसे बाबा साहब के पिता के नाम के प्रति उनका कोई अनुयाई ही अश्रद्धा दिखाए, यह बात बेहद चुभने वाली है।

aasthagarg546@gmail.com

मूर्ति तोड़ने का सिलसिला

देश में मूर्तियों को तोड़ने का काम पहले भी हुआ करता था, लेकिन इस तरह की तेजी नहीं थी जिस तरह से आज पूरे देश में दिख रही है। यह देश के लिए सही नहीं है। इस तरह से महापुरुषों का अपमान नहीं करना चाहिए। त्रिपुरा से शुरू हुई मूर्ति तोड़ने की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और देश के बाकी हिस्सों में भी मूर्ति तोड़ने का सिलसिला जारी है। इस मामले पर पीएम नरेंद्र मोदी ने नाराजगी भी जताई थी, उसके बाद भी मूर्ति तोड़ने का सिलसिला नहीं थम रहा है। एक बात सत्य है कि बिना किसी पार्टी या नेता के बहकावे में ऐसा काम नहीं हो सकता।

नीरज कुमार पाठक, नोएडा

स्वार्थ के लिए विरोध

संजय गुप्त का लेख, सही फैसले की गलत व्याख्या, पढ़ा। इसमें एससी- एसटी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के बदलाव पर विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया के संबंध में सटीक टिप्पणी है। विगत कई वर्षों से यह बात सामने आ रही थी कि एससी-एसटी एक्ट के दुरुपयोग के तहत निर्दोष नागरिकों को बदले की भावना के तहत फंसाया जा रहा है। इस एक्ट के तहत आरोपी पर तत्काल एफआइआर दर्ज हो जाती थी और उसे त्वरित कार्रवाई के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता था। यहां तक कि इस कानून की धारा 18 के तहत अभियुक्त को अग्रिम जमानत भी नहीं दी जाती थी। यह सभी लोगों के लिए एक समान कानून के सिद्धांत का भी किसी न किसी रूप में उल्लंघन था, परन्तु वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में हर कोई इस कानून में बदलाव से डरता रहा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने कानून को व्यावहारिक बनाने का प्रयास किया है। न्याय का मापदंड कहता है कि यदि प्रथम दृष्टि में शिकायत सही पाई जाए तो ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अब यदि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के अंतर्गत भी जांच के बाद गिरफ्तारी की बात कही है तो इसका विरोध गलत है। वर्ष 2016 में कुल दर्ज 5347 मामलों में से 912 मामलों का झूठा पाया जाना सिद्ध करता है कि यह समस्या बहुत विकराल रूप धारण कर चुकी थी और इसका तत्काल निवारण अनिवार्य था। अदालत में मामला झूठा सिद्ध होने पर तो आरोपी को रिहाई मिल जाती थी, लेकिन तब तक उसे बहुत अपमान झेलना पड़ता था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में आम आदमियों के विरुद्ध उत्पीड़न के आरोप व सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध आरोपों के लिए अलग -अलग जांच अधिकारी तय करके जांच तेज गति से होने का प्रबंध भी कर दिया है। ऐसे में यदि संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुछ लोग इस निर्णय को बदलवाना चाहते हैं तो यह उचित नहीं है।

स्नेह प्रभा झा, नोएडा

ट्वीट-ट्वीट

साथियों, मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं आप सबसे यह बात साझा करते हुए कि मेरी पुत्री डॉ. श्रेयशी निशंक ने उत्तराखंड की सैन्य परंपरा को जारी रखते हुए विधिवत रूप से सेना में बतौर अफसर आर्मी मेडिकल कोर में ज्वाइन कर लिया है।

डॉ. रमेश पोखरियाल@DrRPNishank

राम नाम समाज को जोड़ता है तोड़ता नहीं। जो तोड़ता है वह राम को नहीं जानता।

तेजस्वी यादव@yadavtejashwi

राजस्थान में गंगानगर मंडी में सरसों की खरीदी का सच : न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 4000 रुपये, पर कुल सरकारी खरीद सिर्फ 118 क्विंटल हुई है, जबकि मंडी में हजारों क्विंटल सरसों आ रही है और किसान उसे 3600 रुपये से 3700 रुपये के दाम पर बेचने पर मजबूर हैं।

योगेंद्र यादव@_YogendraYadav

'अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते; उन्हें पढ़ना पड़ता है', दोस्तों के साथ एक रविवार बिताते हुए यह सलाह बिल्कुल सही लगती है।

आनंद महिंद्रा@anandmahindra

जनपथ

पर्चा आउट हो गया तब से मचा बवाल,
गेहूं के संग घुन पिसे वही हो रहा हाल।
वही हो रहा हाल साल भर करी पढ़ाई,
जब खाने का वक्त श्वान ले उड़ा कड़ाही।
पढ़ना-लिखना व्यर्थ कीजिए थोड़ा खर्चा,
होशियार एजेंट करेगा आउट पर्चा।

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 28 अंक 257